



Cover Page



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH

ISSN:2277-7881; IMPACT FACTOR :8.017(2023); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286

Peer Reviewed and Refereed Journal: VOLUME:12, ISSUE:3(6), March: 2023

Online Copy of Article Publication Available (2023 Issues)

Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A

Article Received: 2nd March 2023

Publication Date:10th April 2023

Publisher: Sucharitha Publication, India

DOI: <http://ijmer.in.doi/2023/12.03.105>

www.ijmer.in

Digital Certificate of Publication: www.ijmer.in/pdf/e-CertificateofPublication-IJMER.pdf

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : एक नई उम्मीद

डा.सीमा शर्मा
प्रोफेसर,
मेरठ कॉलेज, मेरठ

नीरज त्यागी
शोधार्थी
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय
मेरठ

सारांश— भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत में भारत सरकार ने 34 वर्षों के बाद एक नयी शिक्षा नीति को लागू करने का निश्चय किया है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं। इस शिक्षा नीति में वर्तमान की सभी आवश्यकताओं एवं भविष्य की आकांक्षा के अनुसार शिक्षा के सभी पक्षों पर विचार किया गया है जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आवश्यकताओं, व्यावसायिक कुशलता तथा आत्मनिर्भरता को स्थान दिया गया है। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्तमान की सभी आवश्यकताओं एवं भविष्य की आकांक्षा को देखते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। शैक्षिक सुधारों की दृष्टि से नई शिक्षा नीति में अनेक बदलाव किए गए हैं जिनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति, सीखने के लिए सत्त मूल्यांकन, स्वायत्ता, सुशासन एवं सशक्तीकरण, प्राचीन संस्कृति को जीवित करने, उच्च शोध आदि शामिल किया गया है। इस शिक्षा नीति को देखने से लगता है कि शिक्षा के सभी पक्षों पर ध्यान देने का प्रयास किया गया है साथ ही पूर्व की शिक्षा नीति में जो कमियां नजर आती थीं उनको पूरा करने का भी प्रयास किया गया है। इस शिक्षा नीति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस शिक्षा नीति को सही प्रकार से क्रियान्वित होने से भारत फिर से विश्व गुरु बन सकेगा।

प्रमुख शब्दावली— शिक्षा नीति एवं नई उम्मीद।

परिचय— भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायतें, 6600 ब्लॉक और 650 जिलों से विचार लिए गए। इसमें शिक्षाविदों, अध्यापकों, अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं



Cover Page



व्यापक स्तर पर छात्रों से भी सुझाव लेकर उनका मंथन किया गया। जन आकांक्षाओं के अनुरूप एवं राष्ट्रीय आवश्यकता को चुनौतियों के अनुरूप नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता होती है। जिसमें अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की आवश्यकता तथा भविष्य की संभावनाएं निहित होती हैं। जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नए बदलाव के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। इससे पूर्व 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई और वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। इस शिक्षा नीति के बारे में तत्कालीन शिक्षा मंत्री डॉ० रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि— देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है— जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में यह नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी।” यह शिक्षा नीति ज्ञान—विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी से युक्त संस्कारमय, मूल्यपरक, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भाषा, वैज्ञानिक स्वभाव, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, और चेतना का विकास करना है। साथ ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में प्रमुख भारतीय भाषाओं को महत्व, पाठ्यक्रम को और अधिक गुणवत्ता युक्त, लचीला, एकीकृत और मूल्यांकन परख करने की बात कही गई है। यह शिक्षा नीति, भारतीय मूल्यों पर आधारित होने के साथ भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति एवं भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन एवं प्रसार पर जोर देती है, जिससे यह भारत को समर्थ, गौरवशाली, आत्मनिर्भर बनाने में निश्चय ही प्रमुख भूमिका निभाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिन्दु— इस शिक्षा नीति के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं—

शिक्षा मंत्रालय— इस शिक्षा नीति के संबंध में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए तत्कालीन शिक्षा रमेश पोखरियाल जी ने बताया कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रहेगा क्योंकि यह मंत्रालय शिक्षित करने



Cover Page



और शिक्षा देने का ही है। शिक्षा व्यवस्था के चार प्रमुख आयामों को रेखांकित किया गया है— विद्यार्थी, अध्यापक, पाठ्यक्रम और ढाँचागत सुविधाएं।

मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा— शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मातृभाषा का विशेष महत्व होता है। मनोविज्ञान के अनुसार बालक मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में सरलता और शीघ्रता से सीखता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति ने भाषाई विविधता को महत्व दिया है—

- पांचवी कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इससे इसे कक्षा आठ या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
- विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। बाकी विषय चाहे वह अंग्रेजी में ही क्यों न हो, सब्जेक्ट के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़े रखा जाएगा
- 3—6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी/बाल वाटिका/प्री—स्कूल के माध्यम से मुफ्त सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्ण होगी।
- प्रारंभिक शिक्षा को बहु—स्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा संरचना— यह शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद, रविंद्र नाथ टैगोर महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है जिससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष स्रोत से ज्ञान प्राप्ति का मौका मिलेगा। इस शिक्षा नीति में (5+3+3+4) एक नई व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इस शिक्षा नीति में 10 + 2 के ढांचे की जगह 5+3+3+4 नई पाठ्यक्रम संरचना को लागू किया जाएगा जो क्रमशः 3—8, 8—11, 11—14, 14—18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान किया गया है जिसे बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। इस नई प्रणाली में प्री—स्कूल से 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री—प्राइमरी और



Cover Page



पहली तथा दूसरी कक्षा को रखा गया है। अगले स्टेज में तीसरी तथा चौथी और पांचवी कक्षा को रखा गया है। मिडिल स्कूल यानी 6 से 8 कक्षा में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, पांचवी और आठवीं कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों को समझने पास करने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय कला केंद्र पर एक मानक-निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। आंगनवाड़ी या बालवाड़ी और प्री-स्कूल के माध्यम से मुफ्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संकल्पना है—

- छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स, इंटर्नशिप करवाई जाएगी। म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
- उच्च शिक्षा में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। अगर कोई छात्र दूसरे कोर्स में जाना चाहता है तो निश्चित समय तक ब्रेक लेकर जा सकता है।
- रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए चार साल की डिग्री और नौकरी करने वालों के लिए तीन साल की डिग्री। ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन— पाठ्यक्रम और मूल्यांकन इस नई शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम है, जिसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और छात्रों के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को बढ़ावा दिया गया है। जिसमें व्यवसायिक शिक्षा के साथ इंटर्नशिप भी होगी—

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यवसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम का पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा के साथ-साथ इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी।



Cover Page



- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षा में बदलाव के रूप में भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारित निकाय के रूप में 'परख' नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' की स्थापना की जाएगी।
- छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए 'कृत्रिम बुद्धिमत्' आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार— शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार निम्नलिखित हैं—

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था रहेगी और समय-समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर उनकी पदोन्नति का प्रावधान रहेगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बी0एड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान— राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया



Cover Page



है। इसके साथ ही देश क उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुसार डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा जैसे 1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एंडवास डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने हेतु एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग-नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद् के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय-

1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद्।
2. सामान्य शिक्षा परिषद्।
3. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद्।
4. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद्।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान- भारतवर्ष में दिव्यांग विकलांग छात्रों की बड़ी संख्या है। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना सरकार का दायित्व है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस शिक्षा-नीति शिक्षण सामग्री और आधारभूत ढाँचा तैयार करने पर बल देती है। इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिए क्रॉस विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।



Cover Page



डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान— डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित हैं—

- एक स्वायत्त निकाय के रूप में “राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच” का गठन किया जाएगा।
- डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा।
- **वित्तीय सहायता—** एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अन्य विशेष बिन्दु— इस शिक्षा नीति के कुछ विशेष बिन्दु निम्नलिखित हैं—

1. आकांक्षी जिले जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें ‘विशेष शैक्षिक क्षेत्र’ के रूप में नामित किया जाएगा।
2. देश में क्षमता निर्माण हेतु केन्द्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक ‘जेंडर इंकलूजन फंड’ की स्थापना करेगा।
3. गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचे का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा किया जाएगा।

निष्कर्ष— इस शिक्षा नीति का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक, साहसिक एवं दूरगामी दृष्टिकोण का कार्य है। इस नीति को लागू करने के लिए मंत्रालय द्वारा रोडमैप भी तैयार किया गया है, जिसमें नीति के सभी प्रावधानों को लागू करने की एक समय सीमा तय की गई है। करीब 75 फीसद प्रावधानों को 2024 तक लागू करने का लक्ष्य है। बचे हुए प्रावधान भी वर्ष 2035 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। इस शिक्षा नीति में वर्तमान की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है साथ ही भविष्य की चुनौतियों को पर भी



Cover Page



ध्यान को केन्द्रित किया गया है। इस नीति में जहां प्राचीन संस्कृति के संरक्षण की बात की गयी है वहीं दूसरी ओर आधुनिकतापूर्ण विश्वस्तरीय विकास की योजना को प्रस्तुत किया है। इस शिक्षा नीति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस यदि इस शिक्षा नीति को सही प्रकार से क्रियान्वित किया जाये तो भारत एक विकसित देश बन सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची—

- मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (2020)
- उत्तर प्रदेश का शासनादेश (2020)
- www.uttamhindu.com/politics/150172/new-education-policy-foundation
- www.drishtiiias.com n`f`V The Vision
- www.uttamhindu.com
- www-bbc-com/hindi/india-53581084
- www.drishtiiias.com
- www.drishtiiias.com/hindi/burning-issues-of-the
- www.uttamhindu.com/politics/150172/new-education-policy-foundation-of-new-india
- www.bbc.com/hindi/india-53581084